न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री उगमसिंह राजपुरोहित आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
166/2022	धारा 136 LRA	16.08.2022	23.06.2023

1. रामचन्द्र पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
2. लक्ष्मणराम पुत्र हुणताराम जाति जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
3. शिवराम सिंह पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
4. कमला पुत्री हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
5. मोहीनी पत्नी श्री हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर तहसील व जिला चूरू

–अप्रार्थी–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/779 तादादी 0.7375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988/779 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 989/773 तादादी 3.6295 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 4.5021 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मौका नक्शे एनेक्सर एवं मौका नक्शा राजस्व रिकॉर्ड एनेक्सर ब्ल्यू प्रिंट दावा हाजा के साथा प्रस्तुत है।

वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो उसके पिता हुणताराम से विरासतन प्राप्त हुई जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादीगण के खेत में एक पहले से ही रास्ता मौजूद है तथा उसके बाद एन.एच. 52 जब निकला तब खेत के चार भाग हो गये जो कि उपर वर्णित खसरा नम्बरान है जो नक्शा में जो नक्शा में रास्ता एवं एन.एच. 52 को ब्ल्यू प्रिंट में दिखाया गया है।

राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 986/779 तादादी 0.7375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988/779 तादादी 0.1012 है[illegible]3 तादादी 3.6295 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.0379 हैक्टे[illegible] कुल [illegible]ता 04 कुल तादादी 4.5021 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तहसी[illegible] राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में है परन्तु मौके पर नजरिये नक्शा के [illegible] 986/7[illegible] तादादी 0.2783 हैक्टे[illegible]सरा नम्बर 988/779 तादादी 0.5564 है[illegible]89/773 तादादी 3[illegible] हैक्टेयर व खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 4.5021 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू जो कि उपरोक्त खसरानुसार है जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

राजस्व रिकॉर्ड का मौका पर मौजूद स्थित एवं राजस्व नक्शा में मेल नहीं खा रहा है क्योंकि ब्लूप्रिंट मौका के अनुसार अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है तथा उसी अनुसार कृषि भूमि मौके पर मौजूद है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम हो गई थी। इसलिए उक्त नक्शे की तरमीम व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है इसलिए अदालत मातहत में उक्त दावा पेश किया जा रहा है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एनेक्चर दावा हाजा के साथा पेश है।

उक्त विवादित कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नक्शा मौके पर गलत है जबकि वादीगण द्वारा उक्त भूमि का नाम पोल करवाकर मौके पर नक्शे के अनुसार जो कि नजरिये नक्शा, मौके के अनुसार पेश ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार उक्त कृषि भूमि के नक्शे को तरमीम व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व मौके पर कृषि भूमि जो कुल तादादी कृषि भूमि में हेर –फेर नहीं है दोनों का रकबा समान है।

वादीगण की उपरोक्त कृषि वादीगण के कब्जे काश्त में है और राजस्व रिकॉर्ड के कर्मचारियों के द्वारा नक्शा तरमीम गलत हो गयी है जिसके कारण वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ब्ल्यू प्रिंट एवं मौका रिकॉर्ड के अनुसार दोनों ब्ल्यू प्रिंट दावा हाजा में पेश किये है। दोनों नक्शो के कुल क्षेत्र में कोई हेर–फेर नहीं है। अतः मौके के नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जावे जिसके के लिए मौका नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ब्ल्यू प्रिंट की प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत है। वादीगण के खेत खसरा भूमि में राजस्व नक्शे के अनुसार गलत तरमीम कर दी गई। जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपने राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करवा लेवें। प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु टाल–मटोल करता रहा आखिरकार दिनांक 01.08.2022 को साफ इन्कार कर दिया वाद हेतुक वादीगण भूमि मजकूर खातेदार होने से प्राप्त हो गया है। तहसीलदार चूरू को वाद में पक्षकार बनाया गया है परन्तु उसके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। इसलिए 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

निवास स्थान फेरिकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण अदालतवाला को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

क वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 986/779 तादादी 0.7375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988/779 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 989/773 तादादी 3.6295 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.0379 हैक्टेयर के स्थान पर 986/779 तादादी 0.2783 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988/779 तादादी 0.5564 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 989/773 तादादी 3.3892 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 4.5021 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू में कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शे में तरमीम कर घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्तीएवं मौका नक्शा एनेक्चर के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

ख जरिये डिक्री कृषि भूमि उप मद क में अंकित कृषि भूमि को मौके नक्शे एनेक्चर के अनुसार खसरा नम्बर 986/779 तादादी 0.2783 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988/779 तादादी 0.5564 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 989/773 तादादी 3.3892 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी [illegible] हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू वादीगण व प्रतिवादी [illegible] नक्शा एनेक्चर के अनुसार नक्शा तरमीम व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी को दुरूस्त [illegible] जावे। वादी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की तादादी में किसी प्रकार का [illegible] नहीं पड़ेगा क्यों कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार एवं नक्शा एनेक्चर अनुसार दोनों की कृषि भूमि का रकबा एक समान है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त एवं नक्शा तरमीम दुरूस्त कर मौके नक्शा एनेक्चर के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड ... (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पैरोकार राज उपस्थित प्रतिवादी संख्या एक की ओर से मौका रिपॉर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई अधिवक्ता वादी की ओर साक्ष्य नहीं पेश कर मूल दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार चूरू को साक्ष्य माना जाने हेतु निवेदन कर बहस हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया।

रिपोर्ट तहसीलदार एवं वादी की ओर चाहे गये अनुतोष दोनों एक ही एवं तहसीलदार चूरू की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा एवं वादी की ओर से प्रस्तुत मौका नक्शा दोनो समान है। उक्त वदगत भूमि के सभी संयुक्त खातेदार रिपोर्ट तहसीलदार चूरू एवं वादीगण की ओर से चाहे गये अनुतोष के अनुसार एवं एनेक्चर ए के अनुसार तरमीम एवं दुरूस्ती करवाना चाहते हैं। तथा रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में अंकित किया गया है कि मौके पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में की गयी तरमीम के अनुसार सीमाएं न होकर संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार सीमाएं बनी हुई है। उक्तानुसार तरमीम किये जाने से बैंक हितों पर संयुक्त खातेदारी होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वादी द्वारा चाहा गया संशोधन किया जाता है तो उक्त खातेदारों की कृषि भूमि के कुल रकबे पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती क्योंकि उक्त खसरा नम्बरों का रकबा कम व अधिक अवश्य दर्ज होगा परन्तु कुल रकबा यथावत् ही दर्ज होना है। उक्त खातेदारों का कुल रकबा यथावत् रहने से इनको कोई हानि होना परिलक्षित नहीं होता बल्कि उक्त खातेदारों का राजस्व अभिलेख सही रूप से दर्ज हो जायेगा जिससे भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों मय नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.2023 से वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्य प्रमाणित होते हैं तथा वादीगण का दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि के खसरा नम्बर की तादादी में निम्नानुसार दुरूस्ती किये जाने की घोषणा की जाती है।

खसरा नम्बर क986/779 तादादी 0.7335 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी .2783 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 988/779 तादादी 0.1012 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी 0.5564 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 989/773 तादादी 3.6295 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी 3.3892 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.2782 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी 0.2782 हैक्टेयर
एवं संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में नजरी नक्शा उक्त निर्णय का का भाग माना जावेगा। तहसीलदार, चूरू को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.[illegible]2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

1. रामचन्द्र पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
2. लक्ष्मणराम पुत्र हुणताराम जाति जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
3. शिवराम सिंह पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
4. कमला पुत्री हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू
5. मोहीनी पत्नी श्री हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.))

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 166सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट् सवादीगण मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज`प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि के खसरा नम्बर की तादादी में निम्नानुसार दुरूस्ती किये जाने की घोषणा की जाती है।

खसरा नम्बर क986/779 तादादी 0.7335 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी .2783 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 988/779 तादादी 0.1012 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी 0.5564 हैक्टेयर खसरा नम्बर 989/773 तादादी 3.6295 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी 3.3892 हैक्टेयर खसरा नम्बर 991/773 तादादी 0.2782 हैक्टेयर के स्थान पर तादादी 0.2782 हैक्टेयर
एवं संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में नजरी नक्शा उक्त निर्णय का का भाग माना जावेगा। तहसीलदार, चूरू को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह जून सन् 2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:49 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू